



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 973]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 4, 2017/अग्रहायण 13, 1939

No. 973]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 4, 2017/AGRAHAYANA 13, 1939

गृह मंत्रालय

(राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 1476(अ).—केंद्रीय सरकार, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 75 के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (वित्तीय सलाहकार) भर्ती नियम, 2008 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (वित्तीय सलाहकार) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) यह नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (वित्तीय सलाहकार) भर्ती नियम, 2008 में -

(i) नियम 2 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

***2. पद की संख्या, इसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।"

(ii) नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

***3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा तथा अर्हताएं, आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है।"

(iii) अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वित्तीय सलाहकार	01* (2017) * कार्यभार के आधार पर संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	स्तर 14	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगे या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
<p>केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :</p> <p>(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 या समतुल्य पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की हो; या</p> <p>(iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 और स्तर 13 या समतुल्य पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् आठ वर्ष की सम्मिलित सेवा की है, जिसमें मूल काडर या विभाग में लेवल 13 में नियुक्ति के पश्चात् कम-से-कम तीन वर्ष कार्य किया है।</p> <p>(ख) जो किसी सरकारी विभाग में वित्तीय और लेखा मामलों में अनुभव रखते हैं।</p> <p>टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होंगी।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होंगी।</p>	<p>लागू नहीं होता।</p> <p>टिप्पण : भर्ती चयन समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे, की सिफारिशों पर की जाएगी :-</p> <ol style="list-style-type: none"> उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण – अध्यक्ष सचिव/अपर सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण – सदस्य अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, गृह मंत्रालय – सदस्य 	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p>

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड-(i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 682(अ), तारीख 10 जनवरी, 2008 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(NATIONAL DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th December, 2017

G.S.R. 1476(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 read with section 75 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules to amend the National Disaster Management Authority (Financial Advisor) Recruitment Rules, 2008, namely:—

1. (1) These rules may be called the National Disaster Management Authority (Financial Advisor) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Disaster Management Authority (Financial Advisor) Recruitment Rules, 2008,—

(i) for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:—

“2. Number of post, its classification and level in the pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.”;

(ii) for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:—

“3. Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule aforesaid.”;

(iii) for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:—

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Financial Advisor	01* (2017) * Subject to variation dependent on workload.	Group 'A'	Level 14	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation

In case of recruitment by promotion/deputation or absorption, grades from which promotion/deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Officers of the Central Government : (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or	Not applicable. Note: Recruitment shall be made on the Recommendations of a Selection Committee comprising of:	Consultation with Union Public Service Commission, not required.

<p>(ii) with three years' regular service in level 13 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or</p> <p>(iii) with eight years' combined service on regular basis in level 12 and level 13 in the pay matrix or equivalent, wherein at least three years has been rendered in level 13 in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing experience in financial and accounting matters in a Government department.</p> <p>Note 1 : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2 : The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.</p>	<p>1. Vice Chairperson, National Disaster Management Authority - Chairman</p> <p>2. Secretary/ Additional Secretary, National Disaster Management Authority, - Member</p> <p>3. Additional Secretary and Financial Advisor, Ministry of Home Affairs - Member</p>	
---	---	--

[F. No. 44-4/2017-NDM-II]

SANJEEV KUMAR JINDAL, Jt. Secy. (DM)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 682(E), dated the 10th January, 2008.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 1477(अ).—केंद्रीय सरकार, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 75 के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2009 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2017 है।
(2) यह नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2009 में -

(i) नियम 2 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"2. पद की संख्या, इसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।"

(ii) नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा तथा अर्हताएं, आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है।"

(iii) अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सलाहकार (प्रचालन तथा संचार)	01* (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	स्तर 14	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगे या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उनकी संरचना क्या है	भर्ती करने के लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
<p>केंद्रीय सरकार या रक्षा बलों या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारियों में से :-</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ;</p> <p>या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 'ए' या समतुल्य पर, नियुक्ति के पश्चात्, नियमित आधार पर, उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है ;</p> <p>या</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 या समतुल्य पर नियुक्ति के पश्चात्, नियमित आधार पर, उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है ;</p> <p>और</p> <p>(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :-</p> <p>शैक्षिक अर्हताएं :</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या रक्षा अध्ययन या वाणिज्य या कला या मानविकी या वाणिज्य प्रशासन में मास्टर डिग्री या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में डिग्री या समतुल्य।</p> <p>अनुभव :</p> <p>(क) आवश्यक :</p> <p>(i) रक्षा बलों या केंद्रीय पुलिस संगठनों या पुलिस या दूरसंचार में पंद्रह वर्ष का अनुभव ;</p> <p>(ii) प्रचालन संबंधी योजना या नीति निर्माण या आपदा प्रबंधन या रक्षा बलों या केंद्रीय पुलिस संगठनों या पुलिस या दूरसंचार की योजनाओं या परियोजनाओं या वरिष्ठ स्तरीय प्रबंधन की संकल्पना, तैयारी, समन्वय और प्रबंधन के कार्य का अनुभव ; और</p> <p>(iii) भावी पीढ़ी के नेटवर्क या सूचना सुरक्षा या डाटा आधारित प्रबंधन नियंत्रण में नवीनतम प्रवृत्तियों और घटनाक्रमों का ज्ञान।</p> <p>(ख) वांछनीय :</p> <p>(i) राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों या संगठनों में सुसंगत क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।</p> <p>(ii) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी की परियोजनाओं के कार्यान्वयन या मूल्यांकन या समीक्षा या विश्लेषण का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर से बाहर के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>लागू नहीं होता।</p> <p>टिप्पण 1 : भर्ती चयन समिति, जिनमें निम्नलिखित होंगे, की सिफारिशों पर मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के अनुमोदन से की जाएगी:</p> <ol style="list-style-type: none"> उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण – अध्यक्ष सचिव या विशेष सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण – सदस्य गृह मंत्रालय में सचिव या विशेष सचिव या अपर सचिव – सदस्य <p>टिप्पण 2 : चयन समिति अभ्यर्थियों से व्यक्तिगत साक्षात्कार, अभ्यर्थियों की शैक्षिक अर्हताओं और अनुभव, उनके सेवा अभिलेख और साक्षात्कार में उनके प्रदर्शन को समुचित महत्त्व देते हुए, जैसा समिति द्वारा निर्धारित किया जाए, के आधार पर, अपनी सिफारिशें करेगी।</p> <p>टिप्पण 3 : जब प्राप्त आवेदनों की संख्या अधिक हो तो चयन समिति, समिति द्वारा तय किए जाने वाले मापदंड के आधार पर, साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को कम करने का अधिकार आरक्षित रखती है।</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. संयुक्त सलाहकार (पुनर्वास और पुनरुद्धार)	01* (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	स्तर 13	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	<p>(क) प्रोन्नति : राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में कार्यरत ऐसे वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों में से जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे वरिष्ठ अधिकारियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, सहित अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवाधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।</p> <p>(ख) प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार या रक्षा बलों या केंद्रीय पुलिस संगठनों या पुलिस या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारियों में से :</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 या समतुल्य में उस पद पर नियुक्ति के पश्चात्, नियमित आधार पर, उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है ; और</p> <p>(ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :</p> <p>शैक्षिक अर्हताएं : (क) आवश्यक: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान या आयुर्विज्ञान या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या कला या मानविकी या वाणिज्य प्रशासन से मास्टर डिग्री या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में डिग्री या समतुल्य।</p> <p>(ख) वांछनीय : उपरोक्त (क) खंड में निर्दिष्ट सुसंगत विषय में डॉक्टरेट डिग्री।</p> <p>अनुभव : (क) अनिवार्य : (i) केंद्रीय सरकार या रक्षा बलों या केंद्रीय पुलिस संगठनों या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में बारह वर्ष का अनुभव ; (ii) राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर विकास योजनाओं के नीति निर्माण, विश्लेषण, तैयारी और समन्वय या स्कीमों और योजनाओं की परियोजना निर्माण, तैयारी और क्रियान्वयन के मूल्यांकन, समीक्षा और मॉनीटरिंग का अनुभव।</p> <p>(ख) वांछनीय : (i) राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर आपदा या प्रशमन स्कीमों की तैयारी या मूल्यांकन या निष्पादन या मॉनीटरिंग करने का अनुभव ; (ii) ख्यातिप्राप्त राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों या संगठनों में सुसंगत क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।</p>

			<p>टिप्पण1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर से बाहर के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, पांच वर्ष से अधिक नहीं होंगी।</p> <p>टिप्पण2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--	--	--	--

(12)	(13)
<p>लागू नहीं होता।</p> <p>टिप्पण 1 : भर्ती चयन समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे, की सिफारिशों पर मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के अनुमोदन से की जाएगी :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सचिव या विशेष सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण – अध्यक्ष 2. संबंधित तकनीकी प्रभाग का सलाहकार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण – सदस्य 3. संयुक्त सचिव (आपदा प्रबंधन प्रभाग), गृह मंत्रालय – सदस्य 4. संयुक्त सचिव (प्रशासन और समन्वय), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण – सदस्य <p>टिप्पण 2 : चयन समिति अभ्यर्थियों से व्यक्तिगत साक्षात्कार, अभ्यर्थियों की शैक्षिक अर्हताओं और अनुभव, उनके सेवा अभिलेख और साक्षात्कार में उनके प्रदर्शन को समुचित महत्त्व देते हुए, जैसा समिति द्वारा निर्धारित किया जाए, के आधार पर अपनी सिफारिशें करेगी।</p> <p>टिप्पण 3 : जब प्राप्त आवेदनों की संख्या अधिक हो तो चयन समिति, समिति द्वारा तय किए जाने वाले मापदंड के आधार पर, साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को कम करने का अधिकार आरक्षित रखती है।</p>	<p>लागू नहीं होता</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. संयुक्त सलाहकार (क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण)	01* (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	स्तर 13	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	<p>(क) प्रोन्नति : राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में कार्यरत ऐसे वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों में से, जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, सहित अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।</p> <p>(ख) प्रतिनियुक्ति :</p> <p>केंद्रीय सरकार या रक्षा बलों या केंद्रीय पुलिस संगठनों या पुलिस या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारियों में से :</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ;</p> <p style="text-align: center;">या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 या समतुल्य में उस पद पर नियुक्ति के पश्चात्, नियमित आधार पर, उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है ;</p>

			<p>और</p> <p>(ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :</p> <p>शैक्षिक अर्हताएं :</p> <p>(क) आवश्यक :</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान या आयुर्विज्ञान या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या कला या मानविकी या वाणिज्य प्रशासन से मास्टर डिग्री या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में डिग्री या समतुल्य।</p> <p>(ख) वांछनीय :</p> <p>उपरोक्त (क) खंड में निर्दिष्ट सुसंगत विषय में डॉक्टरेट डिग्री।</p> <p>अनुभव :</p> <p>(क) आवश्यक :</p> <p>(i) केंद्रीय सरकार या रक्षा बलों या केंद्रीय पुलिस संगठनों या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में बारह वर्ष का अनुभव ;</p> <p>(ii) राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर विकास योजनाओं के नीति निर्माण, विश्लेषण, तैयारी और समन्वय या स्कीमों और योजनाओं की परियोजना निर्माण, तैयारी और क्रियान्वयन के मूल्यांकन, समीक्षा और मॉनीटरिंग का अनुभव।</p> <p>(ख) वांछनीय :</p> <p>(i) राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण संस्थानों में काम करने का अनुभव ;</p> <p>(ii) राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर आपदा या प्रशमन स्कीमों की तैयारी या मूल्यांकन या निष्पादन या मॉनीटरिंग करने का अनुभव ;</p> <p>(iii) आपदाओं के प्रबंधन तथा निपटान के कार्य में अनुभव ;</p> <p>(iv) ख्यातिप्राप्त राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों या संगठनों में सुसंगत क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।</p> <p>टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर से बाहर के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--	--	--	---

	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	<p>टिप्पण 1 : भर्ती चयन समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे, की सिफारिशों पर मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के अनुमोदन से की जाएगी :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सचिव या विशेष सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण – अध्यक्ष 2. संबंधित तकनीकी प्रभाग का सलाहकार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण – सदस्य 3. संयुक्त सचिव (आपदा प्रबंधन प्रभाग), गृह मंत्रालय – सदस्य 4. संयुक्त सचिव (प्रशासन और समन्वय), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण – सदस्य <p>टिप्पण 2 : चयन समिति अभ्यर्थियों से व्यक्तिगत साक्षात्कार, अभ्यर्थियों की शैक्षिक अर्हताओं और अनुभव, उनके सेवा अभिलेख और साक्षात्कार में उनके प्रदर्शन को समुचित महत्त्व देते हुए, जैसा समिति द्वारा निर्धारित किया जाए, के आधार पर अपनी सिफारिशें करेगी।</p> <p>टिप्पण 3 : जब प्राप्त आवेदनों की संख्या अधिक हो तो चयन समिति, समिति द्वारा तय किए जाने वाले मापदंड के आधार पर, साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को कम करने का अधिकार आरक्षित रखती है।</p>	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. संयुक्त सलाहकार (प्रचालन केंद्र)	01* (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	स्तर 13	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	<p>(क) प्रोन्नति : राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में कार्यरत ऐसे वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों में से, जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अरहक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, सहित अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।</p> <p>(ख) प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार या रक्षा बलों या केंद्रीय पुलिस संगठनों या पुलिस या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारियों में से : (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 या समतुल्य में उस पद पर नियुक्ति के पश्चात्, नियमित आधार पर, उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है ; और (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं ; शैक्षिक अर्हताएं : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान या आयुर्विज्ञान या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या कला या मानविकी या वाणिज्य प्रशासन से मास्टर डिग्री या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में डिग्री या समतुल्य। अनुभव : (क) आवश्यक : (i) केंद्रीय सरकार या रक्षा बलों या केंद्रीय पुलिस संगठनों या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में बारह वर्ष का अनुभव ; (ii) राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर विकास योजनाओं के नीति निर्माण, विश्लेषण, तैयारी और समन्वय या स्कीमों और योजनाओं की परियोजना निर्माण, तैयारी और क्रियान्वयन के मूल्यांकन, समीक्षा और मॉनीटरिंग का अनुभव। (ख) वांछनीय : (i) राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण संस्थानों में काम करने का अनुभव ; (ii) राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन में पाठ्यक्रमों या सेमिनारों में भाग लेने का अनुभव ; (iii) आपदाओं के प्रबंधन तथा निपटान के कार्य में अनुभव ; (iv) ख्यातिप्राप्त राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों या संगठनों या रक्षा बलों या केंद्रीय पुलिस संगठनों या पुलिस या दूरसंचार संगठनों के सुसंगत क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर से बाहर के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

(12)	(13)
<p>लागू नहीं होता।</p> <p>टिप्पण 1 : भर्ती चयन समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे, की सिफारिशों पर मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के अनुमोदन से की जाएगी :</p> <p>1. सचिव या विशेष सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण – अध्यक्ष</p>	लागू नहीं होता

2. संबंधित तकनीकी प्रभाग का सलाहकार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण – सदस्य	
3. संयुक्त सचिव (आपदा प्रबंधन प्रभाग), गृह मंत्रालय – सदस्य	
5. संयुक्त सचिव (प्रशासन और समन्वय), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण – सदस्य	
टिप्पण 2 : चयन समिति अभ्यर्थियों से व्यक्तिगत साक्षात्कार, अभ्यर्थियों की शैक्षिक अर्हताओं और अनुभव, उनके सेवा अभिलेख और साक्षात्कार में उनके प्रदर्शन को समुचित महत्त्व देते हुए, जैसा समिति द्वारा निर्धारित किया जाए, के आधार पर अपनी सिफारिशें करेगी।	
टिप्पण 3 : जब प्राप्त आवेदनों की संख्या अधिक हो तो चयन समिति, समिति द्वारा तय किए जाने वाले मापदंड के आधार पर, साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को कम करने का अधिकार आरक्षित रखती है।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5 संयुक्त सलाहकार (संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी)	01* (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	स्तर 13	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p>(क) प्रोन्नति : राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में कार्यरत ऐसे वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों में से, जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, सहित अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।</p> <p>(ख) प्रतिनियुक्ति :</p> <p>केंद्रीय सरकार या रक्षा बलों या केंद्रीय पुलिस संगठनों या पुलिस या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारियों में से :</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ;</p> <p>या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 या समतुल्य में उस पद पर नियुक्ति के पश्चात्, नियमित आधार पर, उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है ;</p> <p>और</p> <p>(ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :</p> <p>शैक्षिक अर्हताएं :</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान या आयुर्विज्ञान या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या कला या मानविकी या वाणिज्य प्रशासन से मास्टर डिग्री या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में डिग्री या समतुल्य।</p> <p>अनुभव :</p> <p>(क) आवश्यक :</p> <p>(i) केंद्रीय सरकार या रक्षा बलों या केंद्रीय पुलिस संगठनों या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में बारह वर्ष का अनुभव ;</p> <p>(ii) नीति निर्माण, वृहत समेकित संचार नेटवर्क को तैयार करने तथा देख-रेख का अनुभव ;</p> <p>(iii) भावी पीढ़ी नेटवर्क या डाटा आधारित प्रबंधन में संचार या सूचना सुरक्षा या विकास के क्षेत्र में नवीनतम प्रवृत्तियों और घटनाक्रमों का ज्ञान।</p> <p>(ख) वांछनीय :</p>

			<p>(i) राष्ट्रीय स्तर पर संचार परियोजनाओं के निर्माण या तैयार करने या क्रियान्वयन का अनुभव :</p> <p>(ii) डाटा फ्यूजन केंद्र, डाटा रिकवरी और साइबर स्पेस संरक्षण का अनुभव :</p> <p>टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्त की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर से बाहर के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--	--	--	---

(12)	(13)
<p>लागू नहीं होता।</p> <p>टिप्पण 1 : भर्ती चयन समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे, की सिफारिशों पर मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के अनुमोदन से की जाएगी :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सचिव या विशेष सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण – अध्यक्ष 2. संबंधित तकनीकी प्रभाग का सलाहकार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण – सदस्य 3. संयुक्त सचिव (आपदा प्रबंधन प्रभाग), गृह मंत्रालय – सदस्य 4. संयुक्त सचिव (प्रशासन और समन्वय), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण – सदस्य <p>टिप्पण 2 : चयन समिति अभ्यर्थियों से व्यक्तिगत साक्षात्कार, अभ्यर्थियों की शैक्षिक अर्हताओं और अनुभव, उनके सेवा अभिलेख और साक्षात्कार में उनके प्रदर्शन को समुचित महत्त्व देते हुए, जैसा समिति द्वारा अवधारित किया जाए के आधार पर, अपनी सिफारिशें करेगी।</p> <p>टिप्पण 3 : जब प्राप्त आवेदनों की संख्या अधिक हो तो चयन समिति, समिति द्वारा तय किए जाने वाले मापदंड के आधार पर, साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को कम करने का अधिकार आरक्षित रखती है।</p>	<p>लागू नहीं होता</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. सहायक सलाहकार (प्रचालन केंद्र)	01* (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	स्तर 11	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p>प्रतिनियुक्ति :</p> <p>केंद्रीय सरकार या रक्षा बलों या केंद्रीय पुलिस संगठनों या पुलिस या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारियों में से :</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ;</p> <p style="text-align: center;">या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 9 या समतुल्य में उस पद पर नियुक्ति के पश्चात्, नियमित आधार पर, उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है ;</p> <p style="text-align: center;">और</p> <p>(ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है :</p> <p>शैक्षिक अर्हताएं :</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री या समतुल्य।</p> <p>अनुभव :</p> <p>रक्षा बलों या केंद्रीय पुलिस संगठनों या पुलिस में प्रशासन और प्रचालन क्षेत्रों में पांच वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1 : अनुभव संबंधित अपेक्षा को, अन्यथा अच्छी योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों की दशा में, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुसूची के स्तंभ (12) में विनिर्दिष्ट चयन समिति की सिफारिशों पर, कारणों को लेखबद्ध करते हुए, शिथिल किया जा सकता है।</p>

			<p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर से बाहर के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--	--	--	---

(12)	(13)
<p>लागू नहीं होता।</p> <p>टिप्पण 1 : भर्ती चयन समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे, की सिफारिशों पर मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के अनुमोदन से की जाएगी :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सचिव या विशेष सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण – अध्यक्ष 2. संबंधित तकनीकी प्रभाग का सलाहकार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण – सदस्य 3. संयुक्त सचिव (आपदा प्रबंधन प्रभाग), गृह मंत्रालय – सदस्य 4. संयुक्त सचिव (प्रशासन और समन्वय), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण – सदस्य <p>टिप्पण 2 : चयन समिति अभ्यर्थियों से व्यक्तिगत साक्षात्कार, अभ्यर्थियों की शैक्षिक अर्हताओं, अनुभव और कंप्यूटर का ज्ञान उनके सेवा अभिलेख और साक्षात्कार में उनके प्रदर्शन को समुचित महत्त्व देते हुए, जैसा समिति द्वारा निर्धारित किया जाए, के आधार पर, अपनी सिफारिशें करेगी।</p> <p>टिप्पण 3 : जब प्राप्त आवेदनों की संख्या अधिक हो तो चयन समिति, समिति द्वारा तय किए जाने वाले मापदंड के आधार पर, साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को कम करने का अधिकार आरक्षित रखती है।</p>	<p>लागू नहीं होता</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. सहायक सलाहकार (संचार)	01* (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	स्तर 11	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p>प्रतिनियुक्ति :</p> <p>केंद्रीय सरकार या रक्षा बलों या केंद्रीय पुलिस संगठनों या पुलिस या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारियों में से :</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ;</p> <p style="text-align: center;">या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 9 या समतुल्य में उस पद पर नियुक्ति के पश्चात्, नियमित आधार पर, उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है ;</p> <p style="text-align: center;">और</p> <p>(ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :</p> <p>शैक्षिक अर्हताएं :</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान या इलैक्ट्रॉनिक्स या सूचना प्रौद्योगिकी या दूर-संचार में स्नातक डिग्री या समतुल्य।</p> <p>अनुभव :</p> <p>रक्षा बलों या केंद्रीय पुलिस संगठनों या पुलिस या पुलिस बतार और संचार या दूरसंचार में संचार नेटवर्क परियोजनाओं की देख-रेख का पांच वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1 : अनुभव संबंधित अपेक्षा को, अन्यथा अच्छी योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों की दशा में, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुसूची के स्तंभ (12) में विनिर्दिष्ट चयन समिति की सिफारिशों पर, कारणों को लेखबद्ध करते हुए, शिथिल किया जा सकता है।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर से बाहर के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

(12)	(13)
<p>लागू नहीं होता।</p> <p>टिप्पण 1 : भर्ती चयन समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे, की सिफारिशों पर मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के अनुमोदन से की जाएगी :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सचिव या विशेष सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण – अध्यक्ष 2. संबंधित तकनीकी प्रभाग का सलाहकार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण – सदस्य 3. संयुक्त सचिव (आपदा प्रबंधन प्रभाग), गृह मंत्रालय – सदस्य 4. संयुक्त सचिव (प्रशासन और समन्वय), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण – सदस्य <p>टिप्पण 2 : चयन समिति अभ्यर्थियों से व्यक्तिगत साक्षात्कार, अभ्यर्थियों की शैक्षिक अर्हताओं, अनुभव और कंप्यूटर का ज्ञान उनके सेवा अभिलेख और साक्षात्कार में उनके प्रदर्शन को समुचित महत्त्व देते हुए जैसा समिति द्वारा निर्धारित किया जाए के आधार पर, अपनी सिफारिशें करेगी।</p> <p>टिप्पण 3 : जब प्राप्त आवेदनों की संख्या अधिक हो तो चयन समिति, समिति द्वारा तय किए जाने वाले मापदंड के आधार पर, साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को कम करने का अधिकार आरक्षित रखती है।</p>	<p>लागू नहीं होता</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. सहायक सलाहकार (सूचना प्रौद्योगिकी)	01* (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	स्तर 11	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p>प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार या रक्षा बलों या केंद्रीय पुलिस संगठनों या पुलिस या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारियों में से : (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 9 या समतुल्य में उस पद पर नियुक्ति के पश्चात्, नियमित आधार पर, उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है ; और (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं : शैक्षिक अर्हताएं : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान या इलेक्ट्रॉनिक्स या सूचना प्रौद्योगिकी या दूरसंचार में स्नातक (बैचलर) डिग्री या समतुल्य। अनुभव : सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क की देख-रेख का पांच वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1 : अनुभव संबंधित अपेक्षा को, अन्यथा अच्छी योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों की दशा में, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुसूची के स्तंभ (12) में विनिर्दिष्ट चयन समिति की सिफारिशों पर, कारणों को लेखबद्ध करते हुए, शिथिल किया जा सकता है। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर से बाहर के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होंगी। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

(12)	(13)
<p>लागू नहीं होता।</p> <p>टिप्पण 1 : भर्ती चयन समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे, की सिफारिशों पर मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के अनुमोदन से की जाएगी :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सचिव या विशेष सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण – अध्यक्ष 2. संबंधित तकनीकी प्रभाग का सलाहकार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण – सदस्य 3. संयुक्त सचिव (आपदा प्रबंधन प्रभाग), गृह मंत्रालय – सदस्य 4. संयुक्त सचिव (प्रशासन और समन्वय), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण – सदस्य <p>टिप्पण 2 : चयन समिति अभ्यर्थियों से व्यक्तिगत साक्षात्कार, अभ्यर्थियों की शैक्षिक अर्हताओं, अनुभव तथा उनके कंप्यूटर संबंधी ज्ञान, उनके सेवा अभिलेख और साक्षात्कार में उनके प्रदर्शन को समुचित महत्त्व देते हुए, जैसा समिति द्वारा निर्धारित किया जाए, के आधार पर अपनी सिफारिशें करेगी।</p> <p>टिप्पण 3 : जब प्राप्त आवेदनों की संख्या अधिक हो तो चयन समिति, समिति द्वारा तय किए जाने वाले मापदंड के आधार पर, साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को कम करने का अधिकार आरक्षित रखती है।</p>	<p>लागू नहीं होता</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. ड्यूटी अधिकारी (प्रचालन केंद्र)	02* (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	स्तर 11	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p>प्रतिनियुक्ति :</p> <p>केंद्रीय सरकार या रक्षा बलों या केंद्रीय पुलिस संगठनों या पुलिस या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारियों में से :</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ;</p> <p style="text-align: center;">या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 9 या समतुल्य में उस पद पर नियुक्ति के पश्चात्, नियमित आधार पर, उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है ;</p> <p style="text-align: center;">और</p> <p>(ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं ;</p> <p>शैक्षिक अर्हताएं :</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या वाणिज्य या वाणिज्य प्रशासन में स्नातक (बैचलर) डिग्री या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में डिग्री या समतुल्य।</p> <p>अनुभव :</p> <p>रक्षा बलों या केंद्रीय पुलिस संगठनों या पुलिस या दूरसंचार में प्रशासन और प्रचालन क्षेत्रों आदि में पांच वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर से बाहर के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

(12)	(13)
<p>लागू नहीं होता।</p> <p>टिप्पण 1 : भर्ती चयन समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे, की सिफारिशों पर मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के अनुमोदन से की जाएगी :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सचिव या विशेष सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण – अध्यक्ष 2. संबंधित तकनीकी प्रभाग का सलाहकार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण – सदस्य 3. संयुक्त सचिव (प्रशासन प्रभाग), गृह मंत्रालय – सदस्य 4. संयुक्त सचिव (आपदा प्रबंधन प्रभाग), गृह मंत्रालय – सदस्य 5. संयुक्त सचिव (प्रशासन और समन्वय), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण – सदस्य <p>टिप्पण 2 : चयन समिति अभ्यर्थियों से व्यक्तिगत साक्षात्कार, अभ्यर्थियों की शैक्षिक अर्हताओं, अनुभव तथा उनके कंप्यूटर संबंधी ज्ञान, उनके सेवा अभिलेख और साक्षात्कार में उनके प्रदर्शन को समुचित महत्त्व देते हुए, जैसा समिति द्वारा निर्धारित किया जाए, के आधार पर अपनी सिफारिशें करेगी।</p> <p>टिप्पण 3 : जब प्राप्त आवेदनों की संख्या अधिक हो तो चयन समिति, समिति द्वारा तय किए जाने वाले मापदंड के आधार पर, साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को कम करने का अधिकार आरक्षित रखती है।</p>	<p>लागू नहीं होता</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	09* (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	स्तर 11	लागू नहीं होता	<p>35 वर्ष</p> <p>(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए, सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा को शिथिल करके पैंतालीस वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है।)</p> <p>टिप्पण : आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों के लिए आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई है।)</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>(क) शैक्षणिक अर्हताएं :</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान या समतुल्य से कला में मास्टर या विज्ञान में मास्टर या पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक या आयुर्विज्ञान में बैचलर या प्रौद्योगिकी में बैचलर या सुसंगत क्षेत्र में इंजीनियरी में बैचलर या समतुल्य डिग्री ; या</p> <p>(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान या समतुल्य से दर्शन शास्त्र में मास्टर या सुसंगत क्षेत्र में प्रौद्योगिकी में मास्टर या समतुल्य डिग्री। या</p> <p>(iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान या समतुल्य से दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट या आयुर्विज्ञान में डॉक्टरेट या सुसंगत क्षेत्र में शल्य चिकित्सा में मास्टर या समतुल्य डिग्री।</p>	लागू नहीं होता	एक वर्ष। परिवीक्षा की अवधि, प्रत्येक अवसर पर, अधिकतम छह मास की और अवधि के लिए दो बार बढ़ाई जा सकती है।	50% सीधी भर्ती द्वारा ; 50% प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अधीन अल्पकालिक अनुबंध तथा आमेलन आधार पर प्रतिनियुक्ति भी है), जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

<p>(ख) अनुभव :</p> <p>(i) उन व्यक्तियों के लिए पांच वर्ष का अनुभव जिनके पास उपरोक्त मद (i) में निर्दिष्ट शैक्षिक अर्हताएं हैं ;</p> <p>(ii) उन व्यक्तियों के लिए तीन वर्ष का अनुभव जिनके पास उपरोक्त मद (ii) में निर्दिष्ट शैक्षिक अर्हताएं हैं ;</p> <p style="text-align: center;">और</p> <p>(iii) उन व्यक्तियों के लिए दो वर्ष का अनुभव जिनके पास उपरोक्त मद (iii) में निर्दिष्ट शैक्षिक अर्हताएं हैं।</p> <p>टिप्पण : आपदा प्रबंधन के अपेक्षित क्षेत्र में अनुभव की ठीक-ठीक प्रकृति सुसंगत पदों के लिए विज्ञापन ने निर्दिष्ट की जाएगी।</p>			
--	--	--	--

(11)	(12)	(13)
<p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा और आमेलन आधार पर प्रतिनियुक्ति भी है) :</p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या मान्यताप्राप्त अकादमिक या अनुसंधान या प्रशिक्षण संस्थाओं या अर्द्ध-सरकारी या कानूनी या स्वायत्त या स्थानीय निकायों के ऐसे अधिकारियों में से :</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ;</p> <p style="text-align: center;">या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 9 या समतुल्य में उस पद पर नियुक्ति के पश्चात्, नियमित आधार पर, उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है ;</p> <p style="text-align: center;">और</p> <p>(ख) जिसके पास स्तंभ (8) के अंतर्गत निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :</p> <p>टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर से बाहर के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, पांच वर्ष से अधिक नहीं होंगी।</p> <p>टिप्पण 2 : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर (जिसके अंतर्गत अल्प-कालिक संविदा पर प्रतिनियुक्ति शामिल है) पर लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी पर या किन्हीं कारणों से एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केंद्रीय सरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।</p> <p>टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक तथा आमेलन आधार पर प्रतिनियुक्ति भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयुसीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>लागू नहीं होता।</p> <p>टिप्पण 1 : भर्ती चयन समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे, की सिफारिशों पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से की जाएगी :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सचिव या विशेष सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण — अध्यक्ष 2. संबंधित तकनीकी प्रभाग का सलाहकार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा नामित किया जाए) — सदस्य 3. संयुक्त सचिव (आपदा प्रबंधन प्रभाग), गृह मंत्रालय — सदस्य 4. संयुक्त सचिव (प्रशासन और समन्वय), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण — सदस्य <p>टिप्पण 2 : समिति की (सीधी भर्ती के व्यक्तियों के पुष्टिकरण के लिए) संरचना वही होगी जो ऊपर दी गई है।</p> <p>टिप्पण 3 : चयन समिति अभ्यर्थियों से व्यक्तिगत साक्षात्कार, अभ्यर्थियों की शैक्षिक अर्हताओं का अनुभव तथा उनके कंप्यूटर संबंधी ज्ञान, उनके सेवा अभिलेख (जहां लागू हो) और साक्षात्कार में उनके प्रदर्शन को समुचित महत्त्व देते हुए, जैसा समिति द्वारा निर्धारित किया जाए, के आधार पर अपनी सिफारिशें करेगी।</p> <p>टिप्पण 4 : जब प्राप्त आवेदनों की संख्या अधिक हो तो चयन समिति, समिति द्वारा तय किए जाने वाले मापदंड के आधार पर, साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को कम करने का अधिकार आरक्षित रखती है।</p> <p>टिप्पण 5 : इस कॉलम में विनिर्दिष्ट समितियों द्वारा की गई सिफारिशें अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखी जाएगी।</p>	<p>लागू नहीं होता</p>

[फा. सं. 44-4/2017-एन.डी.एम.-II]

संजीव कुमार जिंदल, संयुक्त सचिव (डी.एम.)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड-(i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 682(अ), तारीख 16 सितंबर, 2009 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th December, 2017

G.S.R. 1477(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 read with section 75 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules to amend the National Disaster Management Authority (Group ‘A’ Posts) Recruitment Rules, 2009, namely:—

1. (1) These rules may be called the National Disaster Management Authority (Group ‘A’ Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Disaster Management Authority (Group ‘A’ Posts) Recruitment Rules, 2009,—

(i) for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:—

“2. Number of posts, classification and level in pay matrix.—The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.”;

(ii) for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:—

“3. Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule aforesaid.”;

(ii) for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:—

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Advisor (Operations and Communications)	1*(2017) *Subject to variation dependent on workload.	Group ‘A’	Level 14	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various method
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation

In case of recruitment by promotion or by deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
From amongst the officers of the Central Government or Defence Forces or State Governments or Union territory administrations: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with three years’ service in the level 13 A in the pay matrix or equivalent,	Not applicable. Note 1 : Recruitment shall be made with the approval of the Appointments Committee of the Cabinet on the recommendations of a Selection Committee consisting of : 1. Vice Chairperson, National Disaster Management Authority - Chairman 2. Secretary or Special Secretary, National Disaster Management Authority - Member	Not applicable.

<p>rendered after appointment thereto on regular basis, in the parent cadre or department;</p> <p>or</p> <p>(iii) with five years' service in the level 13 in the pay matrix or equivalent, rendered after appointment thereto on regular basis, in the parent cadre or department;</p> <p>and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience:-</p> <p>Educational qualifications: Master's Degree in Science or Economics or Statistics or Defence Studies or Commerce or Arts or Humanities or Business Administration or Degree in Engineering or Technology from a recognised university or institute or equivalent.</p> <p>Experience: (a) Essential: (i) fifteen years' experience in Defence Forces or Central Police Organisations or Police or Telecommunications; (ii) experience in operational plan or policy formulation or disaster management or conceptualisation, preparation, coordination and management of plans or projects or Senior level management of Defence Forces or Central Police Organisations or Police or Telecommunications; and (iii) knowledge of latest trends and developments in next generation networks or information security or data based management control.</p> <p>(b) Desirable: (i) having undergone training in the relevant fields at the national or international institutes or organisations; (ii) experience of implementation or appraisal or review or analysis of projects of communication and information technology.</p> <p>Note 1 : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not exceed five years.</p> <p>Note 2 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years of age as on the closing date for the receipt of applications.</p>	<p>3. Secretary or Special Secretary or Additional Secretary in the Ministry of Home Affairs - Member</p> <p>Note 2 : The Selection Committee shall make their recommendations on the basis of personal interviews with the candidates, giving appropriate weightage, as may be determined by the Committee, to the educational qualifications and experience of the candidates, their service record as well as their performance in the interview.</p> <p>Note 3 : When the number of applications received is large, the Selection Committee reserves the right to shortlist the candidates to be called for interview, based on the criteria to be decided by the Committee.</p>	
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Joint Advisor (Rehabilitation and Recovery)	1* (2017) * Subject to variation dependent on workload.	Group 'A'	Level 13	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	By promotion, failing which by deputation	<p>(A) Promotion: From amongst the Senior Research Officers working in the National Disaster Management Authority with ten years of regular service in the grade.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility services.</p> <p>(B) Deputation: From amongst the officers of the Central Government or Defence Forces or Central Police Organisations or Police or State Governments or Union territories:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department;</p> <p style="text-align: center;">or</p> <p>(ii) with five years' service in the level 12 in the pay matrix or equivalent, rendered after appointment thereto on regular basis, in the parent cadre or department;</p> <p style="text-align: center;">and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience:</p> <p>Educational qualification:</p> <p>(a) Essential: Master's Degree in Science or Medicine or Economics or Statistics or Arts or Humanities or Commerce or Business Administration or Degree in Engineering or Technology from a recognised university or institute or equivalent.</p> <p>(b) Desirable: Doctorate Degree in the relevant subject referred to in clause (a) above.</p> <p>Experience:</p> <p>(a) Essential:</p> <p>(i) twelve years' experience in Central Government or Defence Forces or Central Police Organisations or Police or State Governments or Union Territories administration;</p> <p>(ii) experience in policy formulation, analysis, preparation and co-ordination of development plans or project formulation, preparation and implementation of appraisal, review and monitoring of schemes and plans operational at the State or the national level.</p> <p>(b) Desirable:</p> <p>(i) experience in preparation or appraisal or execution or monitoring of disaster or mitigation schemes at the State or the national level;</p>

			<p>(ii) having undergone training in the relevant fields at reputed national or international institutes or organisations.</p> <p>Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not exceed five years.</p> <p>Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years of age as on the closing date for the receipt of applications.</p>
--	--	--	---

(12)	(13)
<p>Not applicable.</p> <p>Note 1 : Recruitment shall be made with the approval of the competent authority on the recommendation of a Selection Committee consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> Secretary or Special Secretary, National Disaster Management Authority — Chairman Advisor of concerned Technical Division, National Disaster Management Authority — Member Joint Secretary (Disaster Management Division) in the Ministry of Home Affairs — Member Joint Secretary (Administration and Coordination) Disaster Management Authority — Member <p>Note 2 : The Selection Committee shall make their recommendations on the basis of personal interviews with the candidates, giving appropriate weightage, as may be determined by the Committee, to the educational qualifications and experience of the candidates, their service record as well as their performance in the interview.</p> <p>Note 3 : When the number of applications received is large, the Selection Committee reserves the right to shortlist the candidates to be called for interview, based on the criteria to be decided by the Committee.</p>	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Joint Advisor (Capacity Building and Training)	1* (2017) * Subject to variation dependent on workload.	Group 'A'	Level 13	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	By promotion, failing which by deputation	<p>(A) Promotion :</p> <p>From amongst the Senior Research Officers working in the National Disaster Management Authority with ten years of regular service in the grade.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of such requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service</p>

		<p>(B) Deputation :</p> <p>From amongst the officers of the Central Government of Defence Forces or Central Police Organisations or Police or State Government or Union territories:</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parents cadre or department;</p> <p style="text-align: center;">Or</p> <p>(ii) with five years' service in the Level 12 in the pay matrix or equivalent, rendered after appointment thereto on regular basis, in the parent cadre or department;</p> <p style="text-align: center;">and</p> <p>(b) possessing following educational qualifications and experience:</p> <p>Educational Qualifications:</p> <p>(a) Essential :</p> <p>Master's Degree in Science or Medicine or Economics or Statistics or Defence studies or Arts or Humanities or Commerce or Business Administration or Degree in any branch of Engineering or Technology from a recognised university or institute or equivalent.</p> <p>(b) Desirable :</p> <p>Doctorate Degree in the relevant subject referred to in clause (a) above.</p> <p>Experience</p> <p>(a) Essential</p> <p>(i) twelve years' experience in Central Government or Defence Forces or Central Police Organisations or Police or State Government or Union territory administration; and</p> <p>(ii) experience in policy formulation, preparation and implementation or project appraisal, review and monitoring of schemes and plans at the State or the national level.</p> <p>(b) Desirable:</p> <p>(i) experience of working in training institutes at the State or the national level;</p> <p>(ii) experience of preparation or appraisal or execution or monitoring of disaster or mitigation schemes operational at the State or the national level;</p> <p>(iii) experience in management or handling of disaster;</p> <p>(iv) having undergone training in the relevant fields at reputed national or international institutional institutes or organisations.</p> <p>Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not exceed five years.</p> <p>Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years of age as on the closing date for the receipt of applications.</p>
--	--	--

(12)	(13)
<p>Not applicable.</p> <p>Note 1 : Recruitment shall be made with the approval of the competent authority on the recommendations of a Selection Committee consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secretary or Special Secretary, —Chairman National Disaster Management Authority 2. Advisor of concerned Technical Division, —Member National Disaster Management Authority 3. Joint Secretary (Disaster Management Division) —Member in the Ministry of Home Affairs 4. Joint Secretary (Administration and Coordination), —Member National Disaster Management Authority <p>Note 2 : The Selection Committee shall make their recommendations on the basis of personal interviews with the candidates, giving appropriate weightage, as may be determined by the Committee, to the educational qualifications and experience of the candidates, their service record as well as their performance in the interview.</p> <p>Note 3 : When the number of applications received is large, the Selection Committee reserves the right to shortlist the candidates to be called for interview, based on the criteria to be decided by the Committee.</p>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. Joint Advisor (Operations Centre)	1* (2017) * Subject to variation dependent on workload.	Group 'A'	Level 13	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	By promotion, failing which by deputation	<p>(A) Promotion : From amongst the Senior Research Officers working in the National Disaster Management Authority with ten years of regular service in the grade.</p> <p>Note : where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short or the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>(B) Deputation : From amongst the Officers of the Central Government or Defence Forces or Central Police Organisations or Police or State Government or Union territories:</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;</p> <p style="text-align: center;">Or</p> <p>(ii) with five years' service in the level 12 in the pay matrix or equivalent, rendered after appointment thereto on regular basis, in the parent cadre or department;</p> <p>(b) possessing following educational qualifications and experience:</p>

			<p>Educational Qualifications : Master's Degree in Science or Economics or Statistics or Defence Studies or Arts or Humanities or Commerce or Business Administration or Degree in Engineering or Technology from a recognised University or Institute or equivalent.</p> <p>Experience :</p> <p>(a) Essential :</p> <p>(i) twelve years experience in Defence Forces or Central Police Organisations or Police or Telecommunications; and</p> <p>(ii) experience in policy formulation, preparation and implementation project appraisal, review and monitoring of schemes and plans at the State or the national level.</p> <p>(b) Desirable :</p> <p>(i) experience or preparation, appraisal, execution or monitoring of operational plans or disaster response or mitigation schemes operational at the State or the national level;</p> <p>(ii) experience of attending courses or seminars on disaster management at national or international level;</p> <p>(iii) experience in management or handling of disaster;</p> <p>(iv) having undergone training in the relevant fields at reputed national or international or Defence Forces or Central Police Organisations or Police or Telecommunications institutes or organisations.</p> <p>Note 1 : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall not exceed five years.</p> <p>Note 2 : The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years of age as on the closing date of the receipt of applications.</p>
--	--	--	--

(12)	(13)
<p>Not applicable.</p> <p>Note 1 : Recruitment shall be made with the approval of the competent authority on the recommendations of a Selection Committee consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secretary or Special Secretary, —Chairman National Disaster Management Authority 2. Advisor of concerned Technical Division, —Member National Disaster Management Authority 3. Joint Secretary (Disaster Management Division) in the Ministry of Home Affairs —Member 4. Joint Secretary (Administration and Coordination), National Disaster Management Authority —Member <p>Note 2 : The Selection Committee shall make their recommendations on the basis of personal interviews with the candidates, giving appropriate weightage, as may be determined by the Committee, to the educational qualifications and experience of the candidates, their service record as well as their performance in the interview.</p> <p>Note 3 : When the number of applications received is large, the Selection Committee reserves the right to shortlist the candidates to be called for interview, based on the criteria to be decided by the Committee.</p>	<p>Not applicable.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. Joint Advisor (Communications and Information Technology)	1* (2017) * Subject to variation dependent on workload.	Group 'A'	Level 13	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	By promotion, failing which by deputation	<p>(A) Promotion: From amongst the Senior Research Officers working in the National Disaster Management Authority with ten years of regular service in the grade.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>(B) Deputation: From amongst the officers of the Central Government or Defence forces or Central Police Organisations or Police or State Governments or Union Territories;</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;</p> <p style="text-align: center;">or</p> <p>(ii) with five years' service in the level 12 of the pay matrix or equivalent, rendered after appointment thereto on regular basis, in the parent cadre or department;</p> <p style="text-align: center;">and</p> <p>(b) possessing following educational qualifications and experience: Educational Qualifications: Master's Degree in Science or business Administration or Defence Studies or Degree in Electronics or Telecommunications or Information Technology or Computer Science from a recognised University or Institute or equivalent.</p> <p>Experience: (a) Essential: (i) twelve years' experience in Defence Forces or Central Police Organisations or Police or Police Wireless and Communications or Telecommunications or Information Technology; (ii) Experience in policy formulation, preparation and handling of large integrated communication networks; and (iii) knowledge of latest trends and developments in the field of communication or information security or developments in next generation networks or data based management.</p> <p>(b) Desirable: (i) Experience in formation or preparation or implementation of communication projects at national level; (ii) Experience in establishment of data fusion centre, data recovery and cyber space protection;</p> <p>Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not exceed five years.</p> <p>Note 2: The Maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years of age as on the closing date for the receipt of applications.</p>

(12)	(13)
<p>Not applicable.</p> <p>Note 1 : Recruitment shall be made with the approval of the competent authority on the recommendations of a Selection Committee consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secretary or Special Secretary, National Disaster Management Authority - Chairman. 2. Advisor of concerned Technical Division, National Disaster Management Authority - Member 3. Joint Secretary (Disaster Management Division) in the Ministry of Home Affairs - Member 4. Joint Secretary (Administration and Coordination), National Disaster Management Authority - Member <p>Note 2 : The Selection Committee shall make their recommendations on the basis of personal interviews with the candidates, giving appropriate weightage, as may be determined by the Committee, to the educational qualifications and experience of the candidates, their service record as well as their performance in the interview.</p> <p>Note 3 : When the number of applications received is large, the Selection Committee reserves the right to shortlist the candidates to be called for interview, based on the criteria to be decided by the Committee.</p>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. Assistant Advisor (Operations Centre)	1* (2017) * Subject to variation on dependent on workload	Group 'A'	Level 11	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	By deputation	<p>Deputation:</p> <p>From amongst the officers of the Central Government or Defence Forces or Central Police Organisations or Police or State Governments or Union territories:</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;</p> <p style="text-align: center;">or</p> <p>(ii) with five years' service in the level 9 in the pay matrix or equivalent, rendered after appointment thereto on regular basis, in the parent cadre or department;</p> <p style="text-align: center;">and</p> <p>(b) possessing following educational qualifications and experience:</p> <p>Educational qualifications: Bachelor's degree from a recognised university or institute or equivalent.</p> <p>Experience: five years' experience in administration and operational areas in Defence Forces or Central Police Organisations or Police.</p> <p>Note 1: The experience is relaxable by the Central Government on the recommendations of the Selection Committee specified in column (12) in the case of candidates otherwise well qualified, for reasons to be recorded in writing.</p>

			<p>Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not exceed five years.</p> <p>Note 3: The maximum limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years of age as on the closing date for the receipt of applications.</p>
--	--	--	--

(12)	(13)
<p>Not applicable.</p> <p>Note 1 : Recruitment shall be made with the approval of the competent authority on the recommendations of a Selection Committee consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secretary or Special Secretary, National Disaster Management Authority - Chairman 2. Advisor of concerned Technical Division, National Disaster Management Authority - Member 3. Joint Secretary (Disaster Management Division) in the Ministry of Home Affairs - Member 4. Joint Secretary (Administration and Coordination), National Disaster Management Authority - Member <p>Note 2 : The Selection Committee shall make their recommendations on the basis of personal interviews with the candidates, giving appropriate weightage, as may be determined by the Committee, to the educational qualifications, experience and Computer Knowledge of the candidates, their service record as well as their performance in the interview.</p> <p>Note 3 : When the number of applications received is large, the Selection Committee reserves the right to shortlist the candidates to be called for interview, based on the criteria to be decided by the Committee.</p>	<p>Not applicable.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. Assistant Advisor (Communications)	1* (2017) * Subject to variation dependent on workload.	Group 'A'	Level 11	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	By deputation	<p>Deputation:</p> <p>From amongst the officers of the Central Government or Defence Forces or Central Police Organisations or Police or State Government or Union territories:</p> <p>(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;</p> <p style="text-align: center;">or</p> <p>(ii) with five years' service in level 9 in the pay matrix or equivalent, rendered after appointment thereto on regular basis, in the parent cadre or department;</p> <p style="text-align: center;">and</p>

			<p>(b) possessing following educational qualifications and experience:</p> <p>Educational qualifications:</p> <p>Bachelor's Degree in Computer Science or Electronics or Informational Technology or Telecommunications from a recognised university or institute or equivalent.</p> <p>Experience:</p> <p>five years' experience in handling of communication network projects in Defence Forces or Central Police Organisations or Police or Police Wireless and Communications or Telecommunications.</p> <p>Note 1 : The experience is relaxable by the Central Government on the recommendations of the Selection Committee specified in column (12) in the case of candidates otherwise well qualified, for reasons to be recorded in writing.</p> <p>Note 2 : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall not exceed five years.</p> <p>Note 3 : The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years of age as on the closing date for the receipt of applications.</p>
--	--	--	--

(12)	(13)
<p>Not applicable.</p> <p>Note 1 : Recruitment shall be made with the approval of the competent authority on the recommendations of a Selection Committee consisting of :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secretary or Special Secretary, National Disaster Management Authority - Chairman 2. Advisor of concerned Technical Division, National Disaster Management Authority - Member 3. Joint Secretary (Disaster Management Division) In the Ministry of Home Affairs - Member 4. Joint Secretary (Administration and Coordination), National Disaster Management Authority - Member <p>Note 2 : The Selection Committee shall make their recommendations on the basis of personal interviews with the candidates, giving appropriate weightage, as may be determined by the Committee, to the educational qualifications, experience and Computer Knowledge of the candidates, their service record as well as their performance in the interview.</p> <p>Note 3 : When the number of applications received is large, the Selection Committee reserves the right to shortlist the candidates to be called for interview, based on the criteria to be decided by the Committee.</p>	<p>Not applicable.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. Assistant Advisor (Information Technology)	1* (2017) * Subject to variation dependent on workload.	Group 'A'	Level 11	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	By deputation	<p>Deputation: From amongst the officers of the Central Government or Deffence Forces or Central Police Organisations or Police or State Government or Union territories:</p> <p>(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;</p> <p style="text-align: center;">or</p> <p>(ii) with five years' service in level 9 in the pay matrix or equivalent, rendered after appointment thereto on regular basis, in the parent cadre or department;</p> <p style="text-align: center;">and</p> <p>(b) possessing following educational qualifications and experience:</p> <p>Educational Qualifications: Bachelor's Degree in Computer Science or Electronics or Informational Technology or Telecommunications from a recognised university or institute or equivalent.</p> <p>Experience: Five years' experience in handling of Information Technology Networks.</p> <p>Note1 : The experience is relaxable by the Central Government on the recommendations of the Selection Committee specified in column (12) in the case of candidates otherwise well qualified, for reasons to be recorded in writing.</p> <p>Note2 : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not exceed five years.</p> <p>Note3 : The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years of age as on the closing date for the receipt of applications.</p>

(12)	(13)
<p>Not applicable.</p> <p>Note 1 : Recruitment shall be made with the approval of the competent authority on the recommendations of a Selection Committee consisting of :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secretary or Special Secretary, National Disaster Management Authority - Chairman 2. Advisor of concerned Technical Division, National Disaster Management Authority - Member 3. Joint Secretary (Disaster Management Division) In the Ministry of Home Affairs - Member 4. Joint Secretary (Administration and Coordination), National Disaster Management Authority - Member <p>Note 2 : The Selection Committee shall make their recommendations on the basis of personal interviews with the candidates, giving appropriate weightage, as may be determined by the Committee, to the educational qualifications, experience and Computer Knowledge of the candidates, their service record as well as their performance in the interview.</p> <p>Note 3 : When the number of applications received is large, the Selection Committee reserves the right to shortlist the candidates to be called for interview, based on the criteria to be decided by the Committee.</p>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. Duty Officer (Operations Centre)	2* (2017) * Subject to variation dependent on workload.	Group 'A'	Level 11	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	By deputation	<p>Deputation: From amongst the officers of the Central Government or Defence Forces or Central Police Organisations or Police or State Government or Union Territories; (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parents cadre or department;</p> <p style="text-align: center;">Or</p> <p>(ii) with five year's service in level 9 in the pay matrix or equivalent, rendered after appointment thereto on regular basis, in the present cadre or department; and (c) possessing following educational qualifications and experience;</p> <p>Educational qualification: Bachelor's Degree in Science or Economics or Statistics or Defence Studies or Commerce or Business Administration or Degree in Engineering or Technology from a rganizati university or institute or equivalent.</p> <p>Experience: Five years' experience in administration and operational areas, etc., in Defence Forces or Central Police Organisations or Police or Telecommunications.</p> <p>Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other rganization or department of the Central Government shall not exceed five years.</p> <p>Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years of age on the closing date for the receipt of applications.</p>

(12)	(13)
<p>Not applicable.</p> <p>Note 1 : Recruitment shall be made with the approval of the competent authority on the recommendations of a Section Committee consisting of :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secretary or Special Secretary , National Disaster Management Authority - Chairman 2. Advisor concerned Technical Division, National Disaster Management Authority - Member 3. Joint Secretary (Administration Division), in the Ministry of Home Affairs - Member 4. Joint Secretary (Disaster Management Division), in the Ministry of Home Affairs - Member 5. Joint Secretary (Administration and Coordination), National Disaster Management Authority - Member <p>Note 2 : The Selection Committee shall make their recommendations on the basis of personal interviews with the candidates, giving appropriate weightage, as may be determined by the Committee, to the educational qualifications, experience and Computer Knowledge of the candidate, their service record as well as their performance in the interview.</p>	Not applicable.

Note 3 : When the number of applications received is large, the Selection committee reserves the right to shortlist the candidate to be called for interview, based on the criteria to be decided by the Committee.	
--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10. Senior Research Officer	9* (2017) * Subject to variation dependent on workload.	Group 'A'	Level 11	Not applicable	35 years (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in the case of general candidates and upto forty-five years in the case of candidate belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or order issued by the Central Government from time to time. Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India(and not the closing date prescribed from those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Maniram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>(A) Educational Qualifications:</p> <p>(i) Master of Arts, or Master of Science or Bachelor of Veterinary or Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery or Bachelor of Technology or Bachelor of Engineering in the relevant field from a recognised university or institute or equivalent degree;</p> <p>or</p> <p>(ii) Master of Philosophy or Master of veterinary Science or Master of Technology in the relevant field from a recognised university equivalent, or institute or equivalent degree.</p> <p>or</p> <p>(iii) Doctor of Philosophy or Doctor of Medicine or Master of Surgery in the relevant field from a recognised university or equivalent, or institute or equivalent degree.</p> <p>(B) Experience :</p> <p>(i) five year's experience for those possessing educational qualification referred to in item (i) above;</p> <p>(ii) three year's experience for those possessing educational qualification referred to in item (ii) above; and</p> <p>(iii) two year's experience for those possessing educational qualification referred to in item (iii) above.</p> <p>Note: The exact nature of experience in the required area of disaster management shall be indicated in the advertisement for the relevant post.</p>	Not applicable	One year. The probation period is extendable twice by a further period of maximum six months on each occasion.	50% by direct recruitment; 50% by deputation (including short-term contract and deputation on absorption basis), failing which by direct recruitment

(11)	(12)	(13)
<p>Deputation(including short-term contract and deputation on absorption basis):</p> <p>From amongst the officers of the Central Government or State Governments or Union Territories or Unversities or Public Sector Undertaking or Recognised Academic or Research or Training Institution, and Semi-Government or Statutory or Autonomous or Local Bodies:</p> <p>(a) (i) holding analogous post on the regular basis in the parent cadre or department;</p> <p style="text-align: center;">or</p> <p>(ii) with five year's service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the post in the level 9 in the pay matrix or equivalent in the present cadre or department;</p> <p style="text-align: center;">and</p> <p>(b) possessing educational qualifications and experience prescribed under column(8):</p> <p>Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not exceed five years.</p> <p>Note 2: The vacancies caused on account of the incumbents being away on deputation (including short-term contract) or on long illness or on study leave or due to any reasons for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from the officers of the Central Government.</p> <p>Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract and deputation on absorption basis) shall not exceed fifty-six years of age on the closing date for the receipt of applications.</p>	<p>Not Applicable.</p> <p>Note 1: Recruitment shall be made with the approval of competent authority on the recommendation of the Selection Committee consisting of :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secretary or Special Secretary , National Disaster Management Authority —Chairman 2. Advisor, National Disaster Management Authority (to be nominated by Vice Chairman, National Disaster Management Authority) —Member 3. Joint Secretary (Disaster Management Division), in the Ministry of Home Affairs —Member 4. Joint Secretary (Administration and Coordination), National Disaster Management Authority —Member <p>Note 2: The composition of the Committee (for confirmation of direct recruits) shall be same as above.</p> <p>Note 3 : The Selection Committee shall make their recommendations on the basis of personal interviews with the candidates, giving appropriate weightage, as may be determined by the Committee, to the educational qualifications, experience and Computer Knowledge of the candidate, their service record(wherever applicable) as well as their performance in the interview.</p> <p>Note 4 : Where the number of applications received is large, the Selection committee reserves the right to shortlist the candidate to be called for interview, based on the criteria to be decided by the Committee.</p> <p>Note 5 : The recommendations made by the Committees specified in this column shall be put up to the competent authority for approval.</p>	<p>Not applicable.</p>

[F. No. 44-4/2017-NDM-II]

SANJEEV KUMAR JINDAL, Jt. Secy. (DM)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section-3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. No. 682(E), dated the 16th September, 2009.